

**प्रस्तावना:**

यह मार्गदर्शन दस्तावेज़ गेटसर्ट प्रा. लिमिटेड द्वारा जारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ है। CAN/CGSB-32.310- 2020 "जैविक उत्पादन प्रणाली- सामान्य सिद्धांत और प्रबंधन मानक" और CAN/CGSB- 32.311- 2020 "जैविक उत्पादन प्रणाली- अनुमत पदार्थों की सूची" पर आधारित है। यह दस्तावेज़ फसल उत्पादन और वन्य फसल मानकों के बारे में बुनियादी मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो CAN/CGSB- 32.310 और CAN/ CGSB- 32.311 के प्रासंगिक अनुभागों में उल्लिखित है।

यह घोषित किया जाता है कि गेटसर्ट प्रा. लिमिटेड CAN/CGSB 32.310- 2020; "जैविक उत्पादन प्रणाली - सामान्य सिद्धांत और प्रबंधन मानक"; और CAN/CGSB- 32.311- 2020 "जैविक उत्पादन प्रणाली-अनुमत पदार्थ सूची" के स्वामित्व के बारे में कोई दावा नहीं करता है।

इस मार्गदर्शन दस्तावेज़ का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं, आवेदकों, प्रमाणित संचालनों और महत्वपूर्ण रूप से रुचि रखने वाले अन्य पक्षों को मानकों के बारे में बुनियादी दिशानिर्देश प्रदान करना है; किसी भी स्थिति में ये दिशानिर्देश (GD (CP) CAN/CGSB- 32.310 and 32.311); मानक (CAN/CGSB- 32.310-2020; "जैविक उत्पादन प्रणाली - सामान्य सिद्धांत और प्रबंधन मानक"; CAN/CGSB- 32.311- 2020 "जैविक उत्पादन प्रणाली- अनुमत पदार्थों की सूची) की आवश्यकताओं को अधिक्रमण या प्रतिस्थापित नहीं करेगा। निरीक्षण करने के उद्देश्य से, प्रमाणन निर्णय लेने या प्रमाणीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की अपील, विवाद या कानूनी कार्यवाही की स्थिति में, मानक (CAN/CGSB - 32.310- 2020; "जैविक उत्पादन प्रणाली - सामान्य सिद्धांत और प्रबंधन मानक"; CAN/CGSB- 32.311- 2020 "जैविक उत्पादन प्रणाली- अनुमत पदार्थों की सूची) को आधिकारिक माना जाएगा।

इस मार्गदर्शन दस्तावेज़ का उपयोग (GD (CP) CAN/CGSB- 32.310 and 32.311) स्वैच्छिक है और उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है। मार्गदर्शन दस्तावेज़ (GD (CP) CAN/CGSB- 32.310 and 32.311) के आधार पर किसी महत्वपूर्ण पक्ष द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा।

यह मार्गदर्शन दस्तावेज़ (GD (CP) CAN/CGSB- 32.310 and 32.311) को हमेशा प्रमाणीकरण मानक (CAN/CGSB - 32.310- 2020; "जैविक उत्पादन प्रणाली - सामान्य सिद्धांत और प्रबंधन मानक"; CAN/CGSB- 32.311- 2020 "जैविक उत्पादन प्रणाली- अनुमत पदार्थों की सूची) के साथ, मानकों के नवीनतम संस्करण में पढ़ा जाएगा। मानकों के सम्बन्ध में किसी भी मतभेद, अंतराल या संदेह के मामले में, मानक (CAN/CGSB - 32.310- 2020; "जैविक उत्पादन प्रणाली - सामान्य सिद्धांत और प्रबंधन मानक"; CAN/CGSB- 32.311- 2020 "जैविक उत्पादन प्रणाली- अनुमत पदार्थों की सूची) में उल्लिखित आवश्यकताओं को हमेशा और हर बार आधिकारिक माना जाएगा।

### जैविक उत्पादन के सामान्य सिद्धांत:

**स्वास्थ्य का सिद्धांत** –जैविक कृषि को मिट्टी, पौधों, जानवरों, मनुष्यों और ग्रह के स्वास्थ्य को एक और अविभाज्य के रूप में बनाए रखना और बढ़ाना चाहिए।

**पारिस्थितिकी का सिद्धांत** –जैविक कृषि जीवित पारिस्थितिक प्रणालियों और चक्रों पर आधारित होनी चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए और उन्हें बनाए रखने में मदद करनी चाहिए।

**देखभाल का सिद्धांत** –वर्तमान और भावी पीढ़ियों और पर्यावरण के स्वास्थ्य और भलाई की रक्षा के लिए जैविक कृषि को एहतियाती और जिम्मेदार तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

**निष्पक्षता का सिद्धांत** –जैविक कृषि को ऐसे संबंधों पर निर्माण करना चाहिए जो सामान्य पर्यावरण और जीवन के अवसरों के संबंध में निष्पक्षता सुनिश्चित करें।

### जैविक पद्धतिया:

कृपया CAB/CGSB-32.310 का सामान्य पद्धतिया 0.3 देखें।

#### 1. विस्तार (स्कोप):

- 1.1 क्या प्रमाणित किया जा सकता है** - (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAB/CGSB-32.310 का 1.1 देखें)
- अ. अप्रसंस्कृत पौधे और कृषि फसल उत्पाद, पशुधन और पशुधन उत्पाद;
  - आ. प्रसंस्कृत कृषि फसल और पशुधन उत्पाद जो मानव उपभोग या उपयोग के लिए लक्षित हैं और 1.1 अ). में उल्लिखित मदों से प्राप्त किए गए हैं।);
  - इ. पशु खाद्य;
  - ई. प्रसंस्कृत कृषि फसल और पशुधन उत्पाद जो मानव उपभोग या उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं और 1.1 अ में उल्लिखित पदार्थों से प्राप्त किए गए हैं ।
- 1.2 जैविक उत्पादों को उत्पादन प्रणाली से प्राप्त किया जाएगा जो की -**
- अ. स्थायी उत्पादकता प्राप्त करने के लिए अपने प्रबंधन के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र का पोषण करे ;
  - आ. जैव विविधता में वृद्धि, पौधों और जानवरों के अवशेषों के पुनर्चक्रण, फसल चयन और रोटेशन, जल प्रबंधन, जुताई और खेती के माध्यम से कीटों, खरपतवारों और बीमारियों सहित कीटों का नियंत्रण करे।
- 1.3 इकाई एवं पैमाने (यूनिट एवं मेंजर्स):**
- इस मानक में मात्राएं और आयाम मीट्रिक इकाइयों में यार्ड/पाउंड समकक्षों के साथ दिए गए हैं, जो ज्यादातर सामान्य रूपांतरण के माध्यम से प्राप्त होते हैं, कोष्ठकों में दिए गए हैं। रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले विवाद या अप्रत्याशित कठिनाई की स्थिति में मीट्रिक इकाइयों को आधिकारिक माना जाएगा।
- 1.4 जैविक उत्पादन और प्रसंस्करण में प्रतिबंधित सामग्री और तकनीकें** (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAB/CGSB-32.310 का 1.4 देखें)
- अ. जेनेटिक इंजीनियरिंग (जीई) से उत्पन्न उत्पाद/सामग्री या जीएम उत्पाद/सामग्री, जैसा कि CAN/CGSB-32.311 के 4.1.3, 5.1.2 और 6.2.1; में निर्दिष्ट किया गया है।
  - आ. सभी उत्पाद, सामग्री या प्रक्रियाएं जो नैनो तकनीक का उपयोग करती हैं, (अपवाद: स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले नैनो-आकार के कण या जो आटा पीसने और संपर्क सतहों, जैसे उपकरण, काम की सतहों या पैकेजिंग जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आकस्मिक रूप से उत्पादित होते हैं, जहां जैविक फसलों, पशुधन या उत्पादों में नैनो-आकार के कणों का स्थानांतरण अनपेक्षित है और होने की संभावना नहीं है।);
  - इ. विकिरण उपचार, CAN/CGSB-32.311 में निर्दिष्ट के अलावा;
  - ई. क्लोन पशुधन और उसके वंशज;
  - उ. उपकरण, कटाई और भंडारण कंटेनर, भंडारण सुविधाएं और फफूंदनाशकों से उपचारित पैकेजिंग

सामग्री, परिरक्षकों, धूमक और कीटनाशक जो की CAN/CGSB-32.311 में सूचीबद्ध नहीं हैं, ( अपवाद : CAN/CGSB-32.310 के 8.2.3 और 8.3.3 में अनुमत को छोड़कर)।

**1.5 जैविक उत्पादन और प्रसंस्करण में प्रतिबंधित पदार्थ:** (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAB/CGSB-32.310 का 1.5 देखें)

जैविक उत्पादन एवं प्रसंस्करण में निम्नलिखित उत्पाद/पदार्थ प्रतिबंधित हैं।

अ. मृदा सुधार निविष्टाए, जैसे कि उर्वरक या कंपोस्टेड पौधे और पशु सामग्री, जिसमें ऐसे पदार्थ/ घटक शामिल हैं जो CAN/CGSB-32.311 में सूचीबद्ध नहीं किये गये है;

आ. सीवेज स्लज/ मल;

इ. कोई भी फसल उर्वरक या पदार्थ जो CAN/CGSB-32.311 में सूचीबद्ध नहीं है;

ई. CAN/CGSB-32.311 में निर्दिष्ट के अलावा पौधे, कवक और पशु विकास नियामक;

उ. इस मानक द्वारा अनुमति के अलावा एंटीबायोटिक्स और पैरासिटिसाइड्स सहित पशु चिकित्सा दवाएं;

ऊ. जैविक उत्पाद तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले गैर-जैविक घटक सामग्री, खाद्य योजक (Food additives) और प्रसंस्करण सहायक (Processing aids) जैसे की सल्फेट, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स (अपवाद: इस मानक द्वारा अनुमत या CAN/CGSB-32.311 में निर्दिष्ट को छोड़कर);

ऋ. फॉर्मिलेट्स ; CAN/CGSB-32.311 में निर्दिष्ट फॉर्मिलेट्स को छोड़कर;

**2. मानक संदर्भ** (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAN/CGSB-32.310 का 2 देखें)

2.1 **CAN/CGSB-32.310**-जैविक उत्पादन प्रणाली- सामान्य सिद्धांत और प्रबंधन मानक;

2.2 **CAN/CGSB-32.311** -जैविक उत्पादन प्रणाली - अनुमत पदार्थों की सूची;

2.3 **CAN/CGSB-32.312** -जैविक उत्पादन प्रणालियाँ: एकाकल्चर-सामान्य सिद्धांत, प्रबंधन मानक और अनुमत पदार्थों की सूची;

2.4 **SFCR का भाग 13** (सेफ फूड फॉर कॅनडीयंस रेगुलेशन)।

**3. निबंधन और परिभाषाएँ**

अधिक जानकारी के लिए कृपया CAN/CGSB-32.310 के "3- नियम और परिभाषाएँ" देखें।

**4. ओर्गैनिक प्लान** (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAB/CGSB-32.310 का 4 देखें)।

4.1 ऑपरेटर ओर्गैनिक प्लान में रूपांतरण, उत्पादन, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के विवरण तथा प्रबंधन का खुलासा और उल्लेख करेगा और सीबी को प्रस्तुत करेगा।

4.2 किसी प्रकार का बदलाव जो उत्पाद, उत्पादन प्रणाली, प्रबंधन प्रथाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, ओर्गैनिक प्लान में अद्यतन किया जाएगा और सीबी को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.3 ओर्गैनिक प्लान या प्रबंधन में परिवर्तन, योजना को क्रियान्वित करने में आने वाली समस्याओं और ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों को ओर्गैनिक प्लान या प्रबंधन में अद्यतन किया जाएगा और सीबी को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.4 ओर्गैनिक प्लान में आंतरिक रिकॉर्ड-कीपिंग सिस्टम का विवरण, 4.4.2 में निर्दिष्ट दस्तावेज ट्रेसबिलिटी आवश्यकताओं और अन्य रिकॉर्ड-कीपिंग आवश्यकताओं का विवरण शामिल होगा।

**4.5 रिकॉर्ड-कीपिंग और अभिद्वयान** (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAB/CGSB-32.310 का 4.4 देखें)

4.5.1 ऑपरेटर आवश्यक सहायक दस्तावेजों सभी संचालन के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा जैसे कि-

अ. दृश्य रिकार्ड (जैसे नक्शे, कार्य प्रवाह चार्ट, निर्दिष्ट क्षेत्र, खेत के नक्शे, विन्यास आरेख, संगठन संचित्र आदि);

आ. निविष्टियां की सूची इसके मूल, स्रोत , मात्रा और उपयोग के स्थानों के साथ;

इ. जैविक फसलों, पशुओं और उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण, हैंडलिंग, परिवहन का रिकॉर्ड;

ई. ऑपरेटर सभी स्तरों पर जैविक उत्पाद की जैविक समग्रता को बनाए रखेगा। मानक का अनुपालन करते हुवे ऑपरेटर सहायक दस्तावेजों के साथ पर्याप्त विवरण में सभी रिकॉर्ड और लेनदेन का पूरी तरह से खुलासा करेगा।

4.5.2 इस तरह के रिकॉर्ड-कीपिंग से निम्नलिखित सुनिश्चित किया जा सकेगा -

- अ. उत्पादन युनिट या संचालन में प्राप्त जैविक उत्पादों की उत्पत्ति, स्वरूप और मात्रा;
- आ. उत्पादन युनिट या संचालन को छोड़ने वाले उत्पादों की मात्रा, स्वरूप, खरीदार और/या परेषिती के विवरण के साथ;
- इ. उत्पादन युनिट में प्राप्त निविष्टियां, सामग्री, योजक और निर्माण सहायक सामग्री, स्रोत, स्वरूप और मात्रा;
- ई. प्रसंस्कृत उत्पादों की संरचना;
- उ. गतिविधियों या प्रक्रियाओं के अभिलेख जो इस मानक के अनुपालन को प्रदर्शित करते हैं।
- 4.5.3 ऑपरेटर गैर-जैविक फसलों, उत्पादों, सामग्री और पशुधन से जैविक फसलों, उत्पादों, सामग्री और पशुधन की पहचान करने के लिए पहचान प्रणाली को लागू करेगा (जैसे दृश्य संकेत, रंग कोड, प्रजाती (वैरायटी) और प्रकार और अन्य उपयुक्त और आसानी से भेद करने योग्य उपाय)।
- 4.5.4 ऑपरेटर जीएम फसलों से जोखिम की पहचान करेगा और जैविक फसलों/प्रौद्योगिकी के जीएम संदूषण को रोकने के लिए योजना को डिजाइन और कार्यान्वित करेगा। (जैसे भौतिक बाधाओं, सीमा पंक्तियों, देरी से रोपण, बीजों का परीक्षण, अलगाव दूरी और उपकरण और भंडारण स्वच्छता प्रोटोकॉल, जुदाई और पहचान के उपाय आदि)।
- 4.5.5 ऑपरेटर अभिलेख बनाए जाने के कम से कम 5 साल तक अपने पास रखेगा।
- 4.5.6 यदि किसी भी अनिवार्य सरकारी कार्यक्रम के तहत किसी कीट नियंत्रण पदार्थ का उपयोग किया जाता है; जो CAN/CGSB-32.311 में सूचीबद्ध नहीं है, तो ऑपरेटर उसकी निगरानी करेगा, ऐसे उपयोग के स्थानों/ फसलों को रिकॉर्ड करेगा और प्रमाणन संस्था को इस तरह के परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगा, जो जैविक उत्पाद प्रमाणन को प्रभावित करते हैं।
- 5. फसल उत्पादन** (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAB/CGSB-32.310 का 5 देखें)
- 5.1 जैविक फसल उत्पादन के लिए भूमि से सम्बंधित मानक** (कृपया अधिक जानकारी के लिए CAB/CGSB-32.310 का 5.1 देखें)
- 5.1.1 मिटटी/ भूमि का जैविक रूपांतरण अवधि 36 महीने है; अर्थात जैविक फसल की कटाई से कम से कम 36 महीने पहले किसी भी प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- 5.1.2 जैविक उत्पादों की पहली कटाई से कम से कम 12 महीने पहले से मानकों को पूरी तरह से लागू किया जाना आवश्यक है।
- 5.1.3 जब नई उत्पादन युनिट/षेत्र/खेत को मौजूदा जैविक युनिट/षेत्र/खेत में जोड़ा जाता है, तो ऑपरेटर को यह अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है कि किसी भी निषिद्ध पदार्थों का उपयोग कम से कम गत 36 महीने से नहीं किया गया है और इस नई उत्पादन युनिट से उत्पादों की पहली कटाई से पहले प्रस्तुत अभिलेख में निहित तथ्यों का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। (कृपया CAB/CGSB - 32.310 के 5.1.2 में उद्धृत नोट देखें)
- 5.1.4 ऑपरेटर अपनी स्थापना को पूर्णतः परिवर्तित/ रूपांतरित करने के उद्देश से प्रयास करे। संक्रमण अवधि के दौरान, संक्रमणकालीन उत्पादन के अलावा, उत्पादन की एक गैर जैविक प्रणाली (विभाजित संचालन/ Split प्रोडक्शन) को बनाए रख सकता है, जो पूरी तरह से पृथक और अलग से इंकित हो, जो कि समग्र संक्रमण/ रूपांतरण प्रक्रिया में शामिल होने तक लंबित राखी जाये।
- 5.1.5 संचालन एक समय में एक उत्पादन युनिट/षेत्र/खेत को परिवर्तित कर सकता है अर्थात समानांतर उत्पादन। प्रत्येक परिवर्तित उत्पादन युनिट/षेत्र/खेत मानकों का पालन करना आवश्यक है। इस मानदंड का अपवाद अर्थात समानांतर उत्पादन केवल निम्नलिखित मामलों में अनुमत है-
- अ. संक्रमण अवधि के अंतिम 24 महीनों के दौरान काटी गई वार्षिक फसलें, जब खेतों को मौजूदा संचालन (युनिट/षेत्र/खेत) में जोड़ा गया है;
- आ. बारहमासी फसलें (पहले से ही लगाई गई);
- इ. कृषि अनुसंधान क्षेत्र/ केंद्र; और
- ई. बीज उत्पादन, वनस्पतिक प्रसार सामग्री और वनस्पति प्रत्यारोपण।

5.1.6 समानांतर उत्पादन के लिए पालन की जाने वाली विशेष शर्तें-

- अ. ऑपरेटर के लिए; उत्पादन, कटाई, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन के दौरान समानांतर उत्पादन के तहत फसलों की स्पष्ट पहचान प्रदर्शित करेना आवश्यक हैं;
- आ. ऑपरेटर गैर-जैविक और जैविक उत्पाद दोनों का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ा रिकॉर्ड बनाये रखे जिसे जाँच/ सत्यापित किया जा सके।

5.1.7 सभी उत्पादन युनिट/ षेत्र/ खेत विशिष्ट और स्पष्ट सीमाओं से पहचान योग्य होना आवश्यक हैं।

5.1.8 किसी एकल उत्पादन युनिट पर जैविक और गैर-जैविक पद्धतियों का आवर्तन वर्जित हैं।

**5.2 पर्यावरणीय/ परिस्थितिकीय मानक:** (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAB/CGSB-32.310 का 5.2 देखें)

5.2.1 जैविक भूमि और फसलों पर निषिद्ध पदार्थों के भौतिक संचलन को कम करने के लिए जरूरी उपाययोजना का अवलम्ब किया जाना चाहिए-

- अ. निकटवर्ती क्षेत्र से ;
- आ. उपकरणों से, जो जैविक और अजैविक दोनों फसलों के लिए उपयोग किया जाता है।

5.2.2 यदि निषिद्ध पदार्थों के साथ अनपेक्षित संपर्क संभव है, तो विशिष्ट बफरज़ोन या संदूषण को रोकने के लिए विशेष उपाय लागू करना आवश्यक हैं जैसे की:

- अ. बफर जोन कम से कम 8 मीटर (26 फीट 3 इंच) चौड़ा होना चाहिए;
- आ. बफर जोन के बजाय स्थायी हेज रो या विंडब्रेक्स, कृत्रिम विंडब्रेक्स, स्थायी सड़कों, या अन्य भौतिक बाधाओं का उपयोग किया जा सकता है;
- इ. बफर जोन में उगाई जाने वाली फसलों को जैविक नहीं माना जाएगा, भले ही उनका उपयोग संचालन में किया गया हो या नहीं हो;
- ई. जी ई (GE) फसलों से होने वाली संदूषण के जोखिम कम करने के लिए जैविक फसलों को पर-परागण से संरक्षित किया जाना चाहिए। जब जोखिम वाली फसल प्रकार के लिए आम तौर पर स्वीकृत अलगाव दूरी मौजूद न हो, तब न्यूनीकरण/शमन कार्यनीतियां जैसे कि, भौतिक बाधाओं, सीमा पंक्तियों, GMO परीक्षण या देरी से रोपण आदि का उपयोग किया जा सकता हैं (नीचे नोट देखें) ।

नोट: जीई फसल से संदूषण सुरक्षित स्वीकृत अलगाव दूरी: सोयाबीन - 10 मीटर (33 फीट); मकई - 300 मीटर (984 फीट); कैनोला, अल्फाल्फा (बीज उत्पादन के लिए) और सेब - 3 किमी (1.8 मील) ।

5.2.3 अनुपचारित लकड़ी या CAN/CGSB-32.311 की तालिका 4.2 (कतार 2) में सूचीबद्ध पदार्थों के साथ उपचारित लकड़ी की अनुमति है, जैसे बाड़ बनाने के लिए।

- अ. नए बाड़ बनाने या प्रतिस्थापन करने के उद्देश्यों के लिए, प्रतिबंधित पदार्थों से उपचारित की गई बाड़ पोस्ट या लकड़ी निषिद्ध है। विकल्प के तौर पर धातु, प्लास्टिक, कंक्रीट या सुरक्षात्मक आवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- आ. संचालन के भीतर निषिद्ध पदार्थों से उपचारित मौजूदा बाड़ पोस्टों के पुनर्चक्रण/ पुनर्वापर की अनुमति है।

5.2.4 ऑपरेटर द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के उपलक्ष्य में उपाय किये जाने चाहिए और निम्नलिखित विशेषताओं में से एक या अधिक शामिल हो सकते हैं-

- अ. परागकणों में उपयुक्त जीव-जन्तुओं का आवास;
- आ. कीटक क्षेत्र/ आवास ;
- इ. वन्यजीवन आवास;
- ई. तटीय क्षेत्रों या आर्द्रभूमियों का रखरखाव या बहाली; या
- उ. अन्य उपाय जो जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं।

नोट: मौजूदा देशी घास मैदान, पार्कलैंड, या आर्द्रभूमि आवासों को बनाए रखना और जब भी संभव हो बढ़ाया

जाना चाहिए।

### 5.3 बीज और रोपण स्टॉक (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAB/CGSB-32.310 का 5.3 देखें)

- 5.3.1 जैविक बीज, कंद, कंद, कलमे, वार्षिक पौध, प्रत्यारोपण, रोपण स्टॉक और अन्य प्रवर्धन का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
- 5.3.2 जैविक बीज और रोपण स्टॉक को CAN/CGSB-32.311 की तालिका 4.2 (कतार 1 या 2) या CAN/CGSB-32.311 की तालिका 7.3 में सूचीबद्ध पदार्थों के साथ उपचारित, संरक्षित, संशोधित या लेपित किया जा सकता है।
- 5.3.3 गैर-जैविक बीज और रोपण स्टॉक की अनुमति है बशर्ते कि:
- जैविक बीज या रोपण स्टॉक किस्म का उत्पादन जैविक संचालन में उपलब्ध नहीं है या जैविक संचालन से उसकी आपूर्ति नहीं की जा सके; और
  - जैविक बीज या रोपण स्टॉक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है, और संभावित, ज्ञात जैविक बीज या रोपण स्टॉक आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करते हुए एक प्रलेखित खोज की गई है;
  - जैविक बीज और रोपण स्टॉक को CAN/CGSB-32.311 की तालिका 4.2 (कतार 1 या 2) या CAN/CGSB-32.311 की तालिका 7.3 में सूचीबद्ध पदार्थों के साथ उपचारित, संरक्षित, संशोधित या लेपित किया जा सकता है। जिसमें निम्नलिखित अपवाद शामिल हैं-
    - तालिका 4.2 (कतार 1 या 2) या तालिका 7.3 में सूचीबद्ध न किए गए पदार्थों से युक्त बीज CAN/CGSB-32.311 की अनुमति है यदि प्राइमिंग प्रक्रिया में ऐसे कीटनाशक शामिल नहीं हैं जो तालिका 4.2 (कतार 2) या CAN/CGSB 32.311 की तालिका 7.3 में सूचीबद्ध नहीं हैं;
    - सरकार या अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा बीजों और रोपण स्टॉक को पदार्थों से उपचारित करना खाद्य सुरक्षा या अन्य के उद्देश्य से अनिवार्य कर दिया गया हो।
- ई. CAN/CGSB 32.310 के 1.5 अ, 1.5 आ), 1.5 इ) या 1.5 ई) द्वारा निषिद्ध पदार्थों के साथ उपचारित गैर-जैविक बारहमासी रोपण स्टॉक, जैविक उत्पादों की पहली कटाई से कम से कम 12 महीने पहले इस मानक के अनुसार व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किये जाने चाहिए। वह भूमि जिस पर गैर-जैविक स्टॉक लगाया जाना है, उसे 5.1.2 की आवश्यकताओं के अधीन संचालित करना आवश्यक है।
- 5.3.4 वार्षिक अंकुरित पौधे जो सर्दियों या वसंत में संचालन में लगाए जाएंगे, उन्हें 100% कृत्रिम रोशनी में स्थलांतरित किया जाना चाहिए। "पहली रोपाई" का अर्थ है एक अंकुरित पौधे को दूसरे माध्यम (जैसे बॉक्स, पॉट, कंटेनर या जमीन में) में स्थलांतरित करना है। 7.5 के सभी खंड (7.5.2.2, 7.5.2.3, 7.5.2.4 को छोड़कर) संरचनाओं में उगाए गए वार्षिक अंकुरित पौधों पर लागू होते हैं।

### 5.4 मिट्टी की उर्वरता और पोषक प्रबंधन (कृपया अधिक जानकारी के लिए CAB/CGSB-32.310 का 5.4 देखें)

- 5.4.1 मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्व प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को स्थापित करना और बनाए रखना है, जैसे की:
- मृदाके कर्ब को बनाए रखना या बढ़ाना,
  - पोषक तत्वों के इष्टतम संतुलन और आपूर्ति को बढ़ावा देना, और
  - मिट्टी के जैविक गतिविधि को उत्तेजित करना।
- 5.4.2 मिट्टी की उर्वरता और जैविक गतिविधि को निम्नलिखित के माध्यम से बनाए रखा या बढ़ाया जाएगा:
- बहुवार्षिक फसल चक्र;
  - जुताई वाली फसलें, फलियां, गहरी जड़ें वाले पौधे;
  - CAN/CGSB-32.311 की तालिका 4.2 (कतार 1) में व्याख्या और निर्देशों के अनुसार, अनुमतिप्राप्त निम्नलिखित का उपयोग किया जा सकता है;
    - पशु और पौधे के स्त्रोतसे बनी खाद (compost) ;
    - बहुवार्षिक फसल चक्र के रूप में गैर-खाद पौधे विशेष रूप से फलियां, जुताई वाली फसलें या गहरी जड़ें वाले पौधे;

3. CAN/CGSB-32.310 के 5.5.1 की आवश्यकताओं के अधीन तरल खाद और घोल सहित अप्रसंस्कृत पशु खाद।
- 5.4.3 जुताई और खेती के ऐसे तरीकों को अपनाया जाना चाहिए जोकी-  
 अ. मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक स्थिति को बनाए रखना या सुधारने में मदद करे,  
 आ. मिट्टी की संरचना और भुरभुरीता को कम से कम नुकसान करे, और  
 इ. मृदा अपरदन को कम करे।
- 5.4.4 मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्व प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली पौधे और पशुधन स्रोत से प्राप्त उर्वरक, पौधों के पोषक तत्वों, रोगजनक जीवों, धातुओं (हेवी मेटल) या निषिद्ध पदार्थों के अवशेषों से फसलों, मिट्टी और पानी को दूषित ना करे यह आवश्यक है।
- 5.4.5 मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को खेत या संचालन से ही पूरा किया जाना चाहिए; हालाँकि यदि आवश्यक हो तो CAN/CGSB-32.311 की तालिका 4.2 (कतार 1) में सूचीबद्ध पदार्थों को भी पूरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- 5.4.6 भूमि को साफ करने के लिए फसल अवशेषों को जलाना प्रतिबंधित है। (अपवाद: जलने का उपयोग किया जा सकता है अगर वहाँ कीट, बीमारी या खरपतवार की समस्या का दस्तावेजीकरण किया गया है; या बीज अंकुरण उत्तेजना के लिए)।

### 5.5 खाद प्रबंधन(अधिक जानकारी के लिए कृपया CAB/CGSB-32.310 का 5.5 देखें)

- 5.5.1 खाद स्रोत
- 5.5.1.1 प्रथम अपने खेत/संचालन से प्राप्त जैविक पशु खाद को उपयोग किया जाना चाहिए। यदि स्वयं के खेत/संचालन से प्राप्त पशु खाद पर्याप्त नहीं है, तो अन्य स्रोतों से प्राप्त जैविक खाद का उपयोग किया जा सकता है। जब जैविक खाद व्यावसायिक रूप से उपलब्ध न हो तो निम्न स्थितियों में अजैविक खाद का उपयोग किया जा सकता है।  
 अ. पशुधन को पूरी तरह से पिंजरे में नहीं रखा गया है यानी पशुधन निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और 360° घूम सकता है।  
 आ. पशुधन को स्थायी रूप से अंधेरे में नहीं रखा जाता है और प्राकृतिक धूप तक उनकी पहुंच होनी चाहिए।  
 इ. स्रोत, खाद की मात्रा, पशुधन के प्रकार और उपरोक्त "अ" और "आ" के मूल्यांकन का अभिलेख रखना आवश्यक है।

नोट: ऐसी खाद मुख्य रूप से परिवर्तनकालिक और व्यापक पशुधन उत्पादन से प्राप्त की जाएगी। भूमिहीन पशुधन उत्पादन या पशुधन उत्पादन कक्ष जो पशु खाद्य में जी एम(GM) सामग्री का उपयोग करते हैं; ऐसी आस्थापनोसे खाद खरीदना टालना चाहिये।

### 5.5.2 भूमि पर खाद का प्रयोग

- 5.5.2.1 भूमि में खाद के उपयोग के लिए ओपरेटर भूमि क्षेत्र, आपूर्ति/ आवेदन की दर, आवेदन का समय और पोषक तत्वों के अवधारण को रिकॉर्ड करे।
- 5.5.2.2 CAN/CGSB-32.311 की तालिका 4.2 (कतार 1) में सूचीबद्ध तरल उर्वरक, उर्वरक घोल, कम्पोस्ट टी, ठोस खाद, कच्ची खाद, खाद और अन्य पदार्थोंको, मिट्टी के सुधार एवं उचित पोषक तत्व प्रबंधन अनुसार भूमि पर लागू किया जाना चाहिए।
- 5.5.2.3 सक्रिय जैव-ऑक्सीकरण के लिए, मिट्टी में खाद के प्रयोग के समय मिट्टी पर्याप्त रूप से गर्म और नम होनी चाहिए।
- 5.5.2.4 खाद का प्रयोग (समय, दर और लगाने का तरीका) निम्न स्थितिया के लिए कारण न बने:  
 अ. रोगजनक जीवाणुओं द्वारा फसलों को दूषित करना;  
 आ. तालाबों, नदियों और नालों को दूषित करें;  
 इ. जमीनी और सतह के पानी को दूषित करना।

- 5.5.2.5 गैर-खाद श्रेणी की ठोस या तरल उर्वारोकोका का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकता है-
- ऐसी खाद को कटाई से कम से कम 90 दिन पहले मिट्टी में प्रविष्ट किया जाये; जब फसल मानव उपभोग के लिए हो और खाद्य भाग मिट्टी के संपर्क में न हो।
  - ऐसी खाद को कटाई से कम से कम 120 दिन पहले मिट्टी में प्रविष्ट किया जाये; जब खाद्य भाग मिट्टी के संपर्क में हो।

5.5.2.6 यदि पशुधन फसल या कीट नियंत्रण कार्यक्रम का हिस्सा है, तो ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि मिट्टी या फसलों के खाद संबंधी संदूषण से बचने के लिए पशुधन को नियंत्रित किया जाए।

### 5.5.3 खाद प्रसंस्करण

- खाद के प्रसंस्करण के लिए भौतिक, जैविक और रासायनिक उपचार पद्धतियों की अनुमति है।
- CAN/CGSB-32.311 की तालिका 4.2 (कतार 1 या 2) में सूचीबद्ध पदार्थों के उपयोग की अनुमति है।
- प्रसंस्करण के दौरान पोषण तत्वों के नुकसान को न्यूनतम रखा जाना आवश्यक है।

### 5.6 कीट, रोग और खरपतवार प्रबंधन (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAN/CGSB-32.310 का 5.6 देखें)

- 5.6.1 कीट, रोग और खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रबंधन में निम्नलिखित का उपयोग किया जाये,
- फसल चक्र,
  - जैव विविधता को बनाए रखना (संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र);
  - प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग;
  - यांत्रिक तकनीक (उदाहरण के लिए, स्वच्छता के उपाय, जाल/फंदा, मल्लिचिंग और चराई); और
  - भौतिक तकनीकें (उदाहरण के लिए, खरपतवारों को जलाना और बीमारियों के खिलाफ गर्मी का उपयोग)।
- 5.6.2 जब उपरोक्त 5.6.1 में वर्णित उपाय पर्याप्त ना हो तब जैविक या वानस्पतिजन्य पदार्थ, या CAN/CGSB-32.311 की तालिका 4.2 (कतार 1 या 2) में सूचीबद्ध पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है।
- 5.6.3 निषिद्ध रसायनों (जैसे छिड़काव पम्प आदि) के लिए उपयोग किए जाने वाले कृषि उपकरणोंको, जैविक संचालन में उपयोग करने से पहले साफ किया जाना आवश्यक है।

### 5.7 सिंचाई

ऑपरेटर के लिए सिंचाई के स्रोत से भूमि और फसलों को दूषित होने से बचाने के उपायों को लागू करना और रिकॉर्ड करना आवश्यक है।

### 6. जैविक वन उत्पाद (अधिक जानकारी के लिए कृपया CAN/CGSB-32.310 का 7.6 देखें)

- वन्यउत्पाद की कटाई/ संग्रहण स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र सेही की जानी चाहिए।
- ऐसे क्षेत्र में जैविक उत्पाद की कटाई/ संग्रहण से कम से कम 36 महीने पहले तक कोई प्रतिबंधित पदार्थ प्रविष्ट नहीं किया जाना चाहिए।
- वन्य फसल आर्गेनिक प्लान के अंतर्गत निम्नलिखित निम्नतम का समावेश होना चाहिए।
  - उत्पादन क्षेत्रों और संग्रहण विधियों का विवरण;
  - वन उत्पादों के सम्बन्ध में स्थायी/ धारणीय संग्रहण प्रबंधन नीतियां/पद्धतियां; और
  - रिकॉर्ड कीपिंग प्रणाली जो CAN/CGSB-32.310 के 4.4 की आवश्यकताओं को पूरा करती हो।
- संग्रहण गतिविधियों से प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान न हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- संग्रहण गतिविधियां लक्षित प्रजातियों और अन्य आश्रित प्रजातियों के विकास और स्थिरता को बढ़ावा दें।
- संग्रहण क्षेत्र उद्योगों, डंप यार्ड(अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्थान), गोल्फ कोर्स आदि जैसे संभावित संदूषण स्रोतों से कम से कम 1 किमी दूर स्थित होना आवश्यक है।

### 7. उत्पाद प्रसंस्करण और हैंडलिंग

कृपया "जीडी (पी एंड एच) सीएएन/सीजीएसबी- 32.310 और 32.311" को पढ़ें, जो [www.getcert.co.in](http://www.getcert.co.in) पर उपलब्ध कराया गया है।

**8. षेत्र/ इमारत कीट प्रबंधन**

कृपया " जीडी (पी एंड एच) सीएएन/सीजीएसबी- 32.310 और 32.311" को पढ़ें, जो [www.getcert.co.in](http://www.getcert.co.in) पर उपलब्ध कराया गया है।

**9. CAN/CGSB-32.311- अनुमत पदार्थों की सूची का उपयोग कैसे करें**

CAN/CGSB-32.311- अनुमत पदार्थों की सूची में कई खंड हैं। ऑपरेटर CAN/CGSB-32.311 में अनुमत पदार्थों के लिए अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार संबंधित अनुभागों को संदर्भित करेंगे। अनुमत पदार्थ सूची को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

- फसल उत्पादन के लिए अनुमत पदार्थों की सूची;
- पशुधन उत्पादन के लिए अनुमत पदार्थों की सूची;
- प्रसंस्करण के लिए अनुमत पदार्थों की सूची;
- स्वच्छक, कीटाणुनाशक और प्रक्षालक के लिए अनुमत पदार्थों की सूची;
- षेत्र/ इमारत कीट प्रबंधन प्रबंधन पदार्थ पदार्थों की सूची।

**9.1 तालिका 4.2 में फसल उत्पादन के लिए अनुमत पदार्थों की सूची का वर्गीकरण**

9.1.1 फसल उत्पादन के लिए अनुमत पदार्थों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है।

- अ. **मृदा सुधार (कॉलम 1):** मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और मिट्टी की समस्याओं को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ; और
- आ. **उत्पादन सहायक (कॉलम 2):** कीट, रोग और खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ जिन्हें मिट्टी या फसलों में उपयोग में लाया जा सकता है।

9.1.2 तालिका 4.2 के कॉलम 1 और 2 में सूचीबद्ध पदार्थ हमेशा तालिका में वर्णित और एनोटेशन (निर्देश) के अनुसार उपयोग किए जाएंगे।

9.1.3 तालिका 4.2 में सूचीबद्ध पदार्थ, निम्नलिखित का उपयोग वर्जित हैं।

- अ. जैविक उत्पादन और तैयारी में प्रतिबंधित पदार्थ या तकनीक; जैसा कि CAN/CGSB-32.310 के 1.4 में बताया गया है।
- आ. जैविक उत्पादन और प्रसंस्करण में प्रतिबंधित पदार्थ; जैसा कि CAN/CGSB-32.310 के 1.5 में बताया गया है।

9.1.4 सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया पर उत्पादित पदार्थों के लिए (उदाहरण के लिए, सूक्ष्मजीव और जिबरेलिक एसिड):

- अ. यदि पदार्थ में सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया शामिल हैं, तो सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया के घटकों का तालिका 4.2 में सूचीबद्ध होना आवश्यक है;
- आ. यदि पदार्थ में सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया शामिल नहीं है, तो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने पर गैर-आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया पर पदार्थ का उत्पादन किया जा सकता है।

**9.2 तालिका 6.3; 6.4 और 6.5 में; प्रसंस्करण करने के लिए अनुमत पदार्थों की सूची का वर्गीकरण**

9.2.1 प्रसंस्करण के लिए अनुमत पदार्थों को उनके उपयोग के अनुसार निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है।

- अ. तालिका 6.3: खाद्य योजक (CAN/CGSB-32.310 के खंड 3 में परिभाषा देखें);
- आ. तालिका 6.4: खाद्य योजकों के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई सामग्री;
- इ. तालिका 6.5: प्रसंस्करण सहायक (CAN/CGSB-32.310 के खंड 3 में परिभाषा देखें)।

9.2.2 तालिका 6.3, 6.4 और 6.5 में सूचीबद्ध पदार्थ; निम्नलिखित का उपयोग वर्जित हैं।

- अ. जैविक उत्पादन और प्रसंस्करण में प्रतिबंधित सामग्री या तकनीक; जैसा कि CAN/CGSB-32.310 के 1.4 में बताया गया है।
- आ. जैविक उत्पादन और तैयारी में प्रतिबंधित पदार्थ; जैसा कि CAN/CGSB-32.310 के 1.5 में बताया गया है।

9.2.3 सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया (उदाहरण के लिए, सूक्ष्मजीव और लैक्टिक एसिड) पर उत्पादित पदार्थों के लिए:

- अ. यदि पदार्थ में सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया शामिल हैं, तो सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया के घटकोंका तालिका 6.3, 6.4 और 6.5 में सूचीबद्ध होना आवश्यक है ;
- आ. यदि पदार्थ में सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया शामिल नहीं है, तो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने पर गैर-आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड सबस्ट्रेट्स या ग्रोथ मीडिया पर पदार्थ का उत्पादन किया जा सकता है।

**9.3 तालिका 7.3 और 7.4 में स्वच्छक, कीटाणुनाशक और प्रक्षालक के लिए अनुमत पदार्थों की सूची का वर्गीकरण**

9.3.1 स्वच्छक कीटाणुनाशक और सैनिटाइज़र के लिए अनुमत पदार्थों को उनके उपयोग के अनुसार निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है।

- अ. तालिका 7.3: खाद्य-ग्रेड स्वच्छक, कीटाणुनाशक और प्रक्षालक जिन्हें बिना निष्कासन (रिमूवल इवेंट: सफाई और स्वच्छता) के उपयोग किया जा सकता है;
- आ. तालिका 7.4: जैविक उत्पाद संपर्क सतहों पर अनुमत स्वच्छक, कीटाणुनाशक और प्रक्षालक, जिनके लिए जैविक उत्पादन चलाने से पहले निष्कासन (रिमूवल इवेंट: सफाई और स्वच्छता) अनिवार्य है।

9.3.2 स्वच्छक, कीटाणुनाशक और प्रक्षालक के सभी गैर-जैविक घटकोंका तालिका 7.3 या 7.4 में सूचीबद्ध होना आवश्यक है ।

9.3.3 बिना रिमूवल इवेंट के उपयोग की जाने वाली घटकोंका तालिका 7.3 में सूचीबद्ध होना आवश्यक है ।

9.3.4 पीने के पानी के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ; और पदार्थ स्टेबलाइजर्स, जैसे कि एचईडीपी (HEDP) (1-हाइड्रॉक्सीएथेन 1,1-डिफोस्फोनिक एसिड) या डिपिकोलिनिक एसिड, जिसका कार्य पदार्थों के रासायनिक क्षरण को रोकना है, को तालिका 7.3 में सूचीबद्ध होना आवश्यक है ।

9.3.5 तालिका 7.4 के अनुरूप उत्पादों में गैर-सक्रिय तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनमें रंजक, सुगंध और रासायनिक एजेंट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिनका उपयोग झाग या इमल्शन के भौतिक पृथक्करण को रोकने के लिए किया जाता है।

**9.4 तालिका 8.2 और 8.3 में पेत्र/ इमारत कीट प्रबंधन के लिए अनुमत पदार्थों की सूची का वर्गीकरण**

9.4.1 कीट प्रबंधन के लिए अनुमत पदार्थों को उनके उपयोग के अनुसार निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है।

- अ. तालिका 8.2: कीटनाशक पदार्थ जिसका उपयोग पेत्र/ इमारत सुविधाओं में और उसके आसपास किया जा सकता है, जैसा कि एनोटेट किया गया है और जैसा कि CAN/CGSB-32.310 के 8.3.2 में निर्दिष्ट है।
- आ. तालिका 8.3: कीटनाशक पदार्थ जिसका उपयोग पेत्र/ इमारत सुविधाओं में कटाई के बाद के भौतिक प्रभाव की आपूर्ति करने के लिए निर्दिष्ट एनोटेशन के अनुरूप किया जा सकता है।

**10. जैविक उत्पाद लेबलिंग दिशानिर्देश और जैविक उत्पाद संरचना** कृपया "जीडी (पी एंड एच) सीएन/सीजीएसबी- 32.310 और 32.311" को पढ़ें, जो [www.getcert.co.in](http://www.getcert.co.in) पर उपलब्ध कराया गया है।